09/2/22

पत्रावली पेश हुई। वाद वादिगण द्वारा पैरवी
द्वारा धारिणी के खातिर 13 धारा चुका
है। प्रार्थना पत्र RTA 212 के तहत कोई औचित्य
नहीं रहा गया है एवं प्रार्थना पत्र
प्राविधिक खातिर 13 धारा तहत ही पत्रावली
फैसल चुका है। अतः निर्णय मूल वाद रही।

सहायक कलक्टर
अलवर